न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 55/2011 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– जलन्धरसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी मोहनपुरा पुलिस थाना सदर जिला श्रीगंगानगर।

———अपीलान्ट

——बनाम——

राजस्थान सरकार।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश शर्मा अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 22.07.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 28.06.2011, जिसके द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 12/1981 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 12/1981 डीएम श्रीगंगानगर बना हुआ है, जिस पर 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 5840–81 दर्ज है और दिनांक 31.12.2009 तक नवीनीकृत था। अपीलांट ने अपने उक्त शस्त्र लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 8.12.09 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 534 दिनांक 25.5.10 को प्रेषित की है, जिसमें अपीलांट के विरूद्ध दो आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख करते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की जाती है'' की टिप्पणी की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट को आधार मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2011 से अपीलांट का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया । प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री ओम प्रकाश शर्मा ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पुलिस रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसमें मुकदमा नं. 75/86 धारा 447, 323 आईपीसी का दर्ज था उसमें राजीनामा हो चुका है, दूसरा मुकदमा स. 280/98 धारा 341, 323 आईपीसी का था जिसमें अपीलांट को परीवीक्षा अधिनियम की धारा 3 का लाभ देकर बरी किया गया। इस प्रकरण का फैसला सन् 1999 में किया गया था। उक्त दोनों प्रकरण सन् 1999 से पूर्व ही खत्म हो चुके थे एवं उसके बाद अपीलांट दिनांक 31.12.08 तक अपना अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करवाता रहा है। बहस में यह भी कथन किया कि अपीलांट के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय राज. जोधपुर की खण्डपीठ के न्यायिक दृष्टान्त 2007 (3) डीएनजे पेज नं. 1509 कमरूदीन बनाम स्टेट उनके खिलाफ विभिन्न भादंसं की धारा के अलावा अप्रवास अधिनियम 1983 की धारा 10, 24 में था जो मामला अपीलांट पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अपीलांट का दोनों मुकदमों में फैसला हो चुका है तथा धाराऐं भी साधारण थी। अपीलांट के विरूद्ध जो विभिन्न आपराधिक प्रकरण बता कर नवीनीकरण शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है, वह आदेश खारिज करने योग्य है। अपीलांट के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम से संबंधित कोई भी आरोप नहीं है, ना ही विचाराधीन है। अपीलांट मौतबीर एवं शांतिप्रिय व्यक्ति है तथा बोर्डर ऐरिया का रहने वाला है एवं रिटायर्ड कर्मचारी है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 534 दिनांक 25.5.10 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध दो मुकदमें दर्ज हुए हैं। मु.नं. 75/86 अन्तर्गत धारा 447, 323 भादंसं में चालान व राजीनामा, व मुकदमा सं. 280/98 धारा 341, 323 आईपीसी में चालान पेण्डिग अदालत बताते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की जाती, की टिप्पणी की गयी । ऐसे झगड़ालू पृष्ठभूमि के व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के लिये खतरा पैदा हो सकता है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट के

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्याानपूर्वक अवलोकन किया । विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस में मुख्य कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार दो आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं तथा दोनों प्रकरण में अपीलांट को दोषमुक्त किया गया है। वर्तमान में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, ना ही कोई विचाराधीन है। विद्वान सहायक लोक अभियोजक का कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध आई.पी.सी. की धाराओं में दो मुकदमें दर्ज हुए हैं। मु.नं. 75/86 में राजीनामा हुआ है और मु.सं. 280/98 में परीवीक्षा का लाभ देकर बरी किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट प्रारम्भ से ही झगड़ालू प्रवृति का रहा है। ऐसे व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से व्यापक लोक शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक कानून व्यवस्था के लिये खतरा रहता है, जिससे हम सहमत हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने भी इन्हीं मुकदमों के मध्यनजर आवेदक को शस्त्र लाईसेंस नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है, जो उचित प्रतीत होती है। अपीलांट के झगड़ालू पृष्ठभूमि की देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष कोई नये साक्ष्य आदि भी प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर गौर किया जा सके।

7. उपरोक्त तथ्यों के अनुसार न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2011 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मिसल बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 22.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर